3/20

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 सि. प्र. सं. पर बहस की गई।

वकील पक्षकारान की बहस, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन एवं सि. प्र. सं, व रा. का. अ. के सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन पश्चात् न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. को अस्वीकार किया जाना समीचीन है।

—: निर्णय :—

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. को अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जावेगा।

फैसला सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

3/3/2020